

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय 2: राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 51.01 प्रतिशत बढ़ गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 37.97 प्रतिशत की कमी आई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 9.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूंजीगत व्यय में 88.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 44.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 83.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 100.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 15.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 3.54 प्रतिशत की कमी आई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 13.64 प्रतिशत की कमी आई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 2.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,798.17 करोड़ (57.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त हुए क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2020-21) की तुलना में चालू वर्ष (2021-22) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार *तालिका 2.1* में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	3,999.47	3,147.94	(-) 851.53 (21)
	राजस्व प्राप्तियां	67,561.01	78,091.69	10,530.68 (16)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	431.95	500.24	68.29 (16)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	62.96	67.15	4.19 (7)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	24,319.13 [*]	29,632.65 [@]	5,313.52 (22)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	3,515.42	3,943.31	427.89 (12)
	कुल	99,889.94	1,15,382.98	15,493.04 (16)
उपयोग	राजस्व व्यय	89,946.60	98,425.03	8,478.43 (9)
	पूंजीगत व्यय	5,869.70	11,045.56	5,175.86 (88)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	925.70	966.27	40.57 (4)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	3,147.94	4,946.11	1,798.17 (57)
	कुल	99,889.94	1,15,382.97¹	15,493.03 (16)


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं (अगस्त 2020)।

@ इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं (दिसंबर 2021)।

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं (दिसंबर 2021)।

¹ पूर्णांकन के कारण 0.01 का अंतर है।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।


राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंक के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।


2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

2017-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **चार्ट 2.3** में दी गई हैं जबकि 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

- * इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 3,943 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 55,671 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 51,728 करोड़) के बाद।
- पूर्णांकन के कारण घटक-वार कुल और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।

सरकार की कुल प्राप्तियां 2017-18 की तुलना में 2021-22 में ₹ 41,722 करोड़ (44.76 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियों ₹ 15,397 करोड़ (24.56 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 25,105 करोड़ (90.33 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,220 करोड़ (44.80 प्रतिशत) बढ़ गईं।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि


2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पादकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि **तालिका 2.2** में दी गई हैं और **चार्ट 2.5** एवं **चार्ट 2.6** में भी दर्शाई गई हैं। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को **परिशिष्ट 2.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां


मानक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	62,695	65,885	67,858	67,561	78,092
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	19.43	5.09	2.99	(-) 0.44	15.59
स्व कर राजस्व	41,099	42,581	42,825	41,914	53,377
कर-भिन्न राजस्व	9,113	7,976	7,400	6,961	7394
स्व राजस्व (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.84	0.69	(-) 0.66	(-) 2.69	24.34
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.79	9.29	9.15	(-) 0.46	18.08
रा.प्रा./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.81	9.44	8.90	8.91	8.72

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.59 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2017-18 में 9.81 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.72 प्रतिशत हो गया।



चार्ट 2.6: 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूर्णांकन के कारण घटकों के विभाजन और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 24.56 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 29.87 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 46.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अंतरण 33.21 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2017-18 में 80.09 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 77.82 प्रतिशत रह गया। राजस्व प्राप्ति में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2017-18 में 8.27 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.73 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2017-18 से 2021-22 के दौरान 11.64 प्रतिशत से बढ़कर 12.45 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,896 करोड़ (24.34 प्रतिशत) बढ़ गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर और कर-भिन्न स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 2.3** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15,609	8,998	8,398	8,660	11,221	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	10,833	18,613	18,873	18,236	22,922	
राज्य उत्पाद शुल्क	4,966	6,042	6,323	6,864	7,933	
वाहनों पर कर	2,778	2,908	2,916	2,495	3,265	
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	4,193	5,636	6,013	5,157	7,598	
भू-राजस्व	18	19	20	17	21	
माल एवं यात्रियों पर कर	2,317	21	16	4	6	
अन्य कर	385	344	266	481	411	
कुल	41,099	42,581	42,825	41,914	53,377	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* पूर्णांकन के कारण अंतर। अन्य करों में समायोजन किया गया है ताकि स्व कर राजस्व के कुल आंकड़े का मिलान किया जा सके।

स्व कर राजस्व में 2017-18 की तुलना में 2021-22 में ₹ 12,278 करोड़ (29.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस आदि पर करों में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

राज्य का स्व कर राजस्व ₹ 53,377 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत ₹ 52,887.50 करोड़ के अनुमानों की तुलना में ₹ 489.50 करोड़ अधिक था और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 53,965 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 588 करोड़ कम था।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों को पांच वर्ष के लिए आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मामले में, 2015-16 के आधार वर्ष के दौरान अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 15,230.59 करोड़ था।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व, वास्तव में एकत्रित राजस्व और भारत सरकार से देय क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति

तालिका 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.4: वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण तथा भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि	एकत्रित राजस्व राशि	क्षतिपूर्ति की देय राशि	क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि	कमी
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18 ²	14,845.26	13,225.69	1,619.57	1,199.00	420.57
2018-19	22,564.79	18,597.93	3,966.86	2,820.00	1,146.86
2019-20	25,723.86	18,944.61	6,779.25	5,453.43	1,325.82
2020-21	29,325.20	18,240.48	11,084.72	9,417.81*	1,666.91
2021-22	33,430.73	22,922.62 ³	10,508.11	10,302.46**	205.65
कुल	1,25,889.84	91,931.33	33,958.51	29,192.70	4,765.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त की गई सूचना

* इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

** इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि, अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम थी और 2017-22 के दौरान ₹ 1,25,889.84 करोड़ की अनुमानित वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति के विरुद्ध कुल ₹ 33,958.51 करोड़ की कमी थी। भारत सरकार ने मार्च 2022 तक बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 11,746 करोड़ सहित मुआवजे के रूप में ₹ 29,192.70 करोड़ जारी किए हैं।

(iii) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 33,905.57 करोड़ थी जिसमें से ₹ 5,851.98 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2022 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	33,063.37	5,364.18
2	राज्य उत्पाद शुल्क	494.11	254.52
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	410.85	210.85
4	स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	181.26
5	पुलिस	128.86	40.91
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्ति	11.12	11.11
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल		34,316.42	6,062.83

स्रोत: विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

² वर्ष 2017-18 की राशि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ माह की अवधि से संबंधित है।

³ इसमें वस्तु एवं सेवा कर से पहले की ₹ 0.47 करोड़ की राशि शामिल है।

(iv) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, **तालिका 2.6** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 2.7** में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2021-22 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2021 तक लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ करोड़ में)	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	132	61	193	144	9.41	49
2	0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	0	3	3	2	0.01	1

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) रिफंड मामले

वर्ष 2021-22 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2021-22 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का आरंभिक शेष	480	119.34	39	2.23
2	प्राप्त दावे	707	173.49	82	6.18
3	किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	749	152.46	88	6.20
4	बकाया दावों का अंतिम शेष	438	140.37	33	2.21

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **तालिका 2.9** में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	2,228	1,954	1,975	1,562	1,378	
लाभांश एवं लाभ	8	57	87	163	1,008	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	6,877	5,965	5,338	5,236	5,008	
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	132	164	172	210	232	
ख) सड़क परिवहन	1,280	1,197	1,115	585	1,077	
ग) शहरी विकास	2,861	2,316	1,855	1,954	1,241	
घ) शिक्षा	674	272	458	595	220	
ड) अलौह खनन	713	583	702	1,021	838	
च) अन्य	1,217	1,433	1,036	871	1,840	
कुल	9,113	7,976	7,400	6,961	7,394	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2017-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,719 करोड़ (18.86 प्रतिशत) कम हो गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,394 करोड़) ने मुख्यतः अन्य विकास योजनाओं के अंतर्गत शहरी विकास में ₹ 713 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा से शिक्षा में ₹ 375 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण और खनिज रियायत फीस, किराए एवं रायल्टी से अलौह खनन में ₹ 183 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण शहरी विकास, शिक्षा तथा अलौह खनन के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी द्वारा ऑफ सेट लाभांश एवं लाभ में ₹ 845 करोड़ तक तथा सड़क परिवहन में ₹ 492 करोड़ तक वृद्धि के कारण गत वर्ष से ₹ 433 करोड़ (6.22 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.47 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,378 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,211 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में ₹ 3,457 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 7,927 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 533 करोड़ की कमी है।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2012-13 से 2021-22 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां चार्ट 2.7 में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2012-13 में ₹ 3,062 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,438 करोड़ हो गया तथा फिर 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,722 करोड़ हो गया जैसा कि तालिका 2.10 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग प्रक्षेपण	बजट अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत	2,194	2,302	108
2011-12		2,765	2,682	(-)83
2012-13		3,180	3,062	(-)118
2013-14		3,484	3,343	(-)141
2014-15		4,010	3,548	(-)462
2015-16	14वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	5,680	5,496	(-)184
2016-17		6,189	6,597	408
2017-18		8,372	7,298	(-)1,074
2018-19		9,300	8,255	(-)1,045
2019-20		11,216	7,111	(-)4,105
2020-21	15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 41 प्रतिशत	8,485	6,438	(-)2,047
2021-22		7,275	9,722	2,447

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	104.36	2,037.54	2,018.07	1,907.46	2,763.35
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	737.08	162.60	--	--	-- ⁴
निगम कर	2,235.92	2,870.86	2,424.73	1,946.54	2,846.17
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,888.08	2,114.27	1,899.93	1,996.13	2,874.79
सीमा शुल्क	736.90	585.17	450.77	338.27	709.48
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	770.20	388.87	313.42	215.83	390.43
सेवा कर	825.05	75.03	--	28.52	127.53
अन्य कर ⁵	(-) 0.07	20.26	4.61	4.84	10.41
केंद्रीय कर अंतरण	7,297.52	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	11	13	(-) 14	(-) 9	51
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	12	13	10	10	12

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021-22 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 9,722.16 करोड़) 2020-21 की तुलना में ₹ 3,284.57 करोड़ (51.02 प्रतिशत) अधिक था। यह बजट अनुमान 2021-22 (₹ 7,274.60 करोड़) में किए गए अनुमानों से भी ₹ 2,447.56 करोड़ अधिक है।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2021-22 में ₹ 4,649.89 करोड़ की कमी हुई जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

⁴ 2021-22 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर के मामले में भारत सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) की निवल प्राप्तियों के हिस्से का बंटवारा न करना।

⁵ संपत्ति कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क कर सहित।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गैर-योजनागत अनुदान	--	--	--	--	--
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	2,326.62	2,843.09	2,851.99	3,135.18	3,332.31
वित्त आयोग अनुदान	1,316.68	1,274.26	2,005.74	2,364.00	1,192.05
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	1,199.00	2,820.00	5,453.43	5,065.81*	2,908.67**
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	342.82	136.19	210.75	1,683.14	165.21
कुल	5,185.12	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 9	36	49	16	(-) 38
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	8	11	16	18	10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।

** इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं।

2021-22 के दौरान सहायतानुदान का 38.28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(iii) चौदहवें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15वें वित्त आयोग (2020-21 एवं 2021-22) की सिफारिश			भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान	1,264.00	935.00	2,199.00	1,264.00	467.50	1,731.50	1,264.00	467.50	1,731.50
(क) सामान्य मूल अनुदान	632.00	374.00	1,006.00	632.00	187.00	819.00	632.00	187.00	819.00
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	632.00	561.00	1,193.00	632.00	280.50	912.50	632.00	280.50	912.50
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान	609.00	461.00	1,070.00	609.00	199.75	808.75	609.00	223.75	832.75
(क) सामान्य मूल अनुदान	304.50	154.80	459.30	304.50	77.40	381.90	304.50	77.40	381.90
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	304.50	306.20	610.70	304.50	122.35	426.85	304.50	146.35	450.85
स्थानीय निकायों का योग	1,873.00	1,396.00	3,269.00	1,873.00	667.25	2,540.25	1,873.00	691.25	2,564.25
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	491.00	491.00	982.00	491.00	392.80	883.80	491.00	392.80	883.80
कुल योग	2,364.00	1,887.00	4,251.00	2,364.00	1,060.05	3,424.05	2,364.00	1,084.05	3,448.05

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों

से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत प्राप्तियां	27,870.56	39,685.88	49,878.46	49,959.64	48,279.20
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	39.87	49.01	54.01	62.96	67.15
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	6,340.93	5,371.90	5,392.63	431.95	500.24
लोक ऋण प्राप्तियां	21,489.76	34,264.97	44,431.82	49,464.73	47,711.81
आंतरिक ऋण ⁶	21,348.75	34,140.14	44,329.43	49,340.05 ⁷	47,568.21
वृद्धि दर	(-) 23.88	59.92	29.85	11.30	(-) 3.59
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	141.01	124.83	102.39	124.68*	143.6**
वृद्धि दर	14.40	(-) 11.47	(-) 17.98	21.77	15.17
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 23.71	59.45	29.67	11.33	(-) 3.54
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	538.40	(-) 15.04	0.47	(-) 90.91	14.65
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.79	9.29	9.15	(-)0.46	18.08
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 4.45	42.39	25.68	0.16	(-)3.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर।

** वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,771.84 करोड़ की कमी हुई। 2017-18 से 2019-20 के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों द्वारा लिए गए सभी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2020-21 में ऋण और अग्रिम की वसूली में ₹ 4,960.68 करोड़ की काफी कमी आई। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को राज्य बिजली कंपनियों की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिगृहीत करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा डिस्काॅम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में माना गया। 2017-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है। आगे, 2021-22 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली में ₹ 68.29 करोड़ की भारी वृद्धि हुई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 2.15** में दी गई हैं।

⁶ अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सहित।

⁷ ₹ 2,775.83 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	15वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					15वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
					(₹ करोड़ में)		
कर राजस्व	53,965	52,888	52,888	53,377	(-) 1.09	0.92	0.92
कर-भिन्न राजस्व	7,927	10,851	10,851	7,394	(-) 6.72	(-) 31.86	(-) 31.86

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 1.09 प्रतिशत कम था और बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 0.92 प्रतिशत अधिक था। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 6.72 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 31.86 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के ढांचे के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।


गत पांच वर्षों (2017-22) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	88,190	93,218	1,03,823	96,742 ⁸	1,10,437
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
पूंजीगत व्यय	13,538	15,307	17,666	5,870	11,046
ऋण एवं अग्रिम	1,395	756	1,309	926	966
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13.80	13.35	13.62	12.75	12.33
रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11.47	11.05	11.13	11.86	10.99
पूं.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.12	2.19	2.32	0.77	1.23
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.22	0.11	0.17	0.12	0.11

पांच वर्षों (2017-22) की अवधि में कुल व्यय में 25.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में 34.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 18.41 प्रतिशत की कमी आई।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2017-18 में 83.07 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 89.12 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 में 15.35 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 17.02 प्रतिशत हो गया लेकिन 2021-22 में घटकर 10.00 प्रतिशत रह गया। 2017-18 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 1.58 प्रतिशत था जो 2021-22 में घटकर 0.88 प्रतिशत रह गया।

⁸ ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।



जैसा कि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2017-18 से बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई और 2017-18 में 30.82 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.30 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2021-22 में यह घटकर 34.87 प्रतिशत रह गया। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2021-22 में 35.42 प्रतिशत से बढ़कर 42.01 प्रतिशत हो गया और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 31.74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 22.24 प्रतिशत रह गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2017-18 में 62.74 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 64.25 प्रतिशत हो गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 2.02 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान 0.88 प्रतिशत तक कम हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2017-22) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)


विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	88,190	93,218	1,03,823	96,742 ⁹	1,10,437
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.10	5.32	9.97	6.01	9.43
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	83.07	82.77	81.72	92.98	89.12
रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	11.47	11.05	11.13	11.86	10.99
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	116.85	117.11	125.04	133.13	126.04
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	62,695	65,885	67,858	67,561	78,092
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.43	5.09	2.99	(-) 0.44	15.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.79	9.29	9.15	(-) 0.46	18.08

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁹ ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।

2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 25,168 करोड़ (34.36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2017-18 में 11.47 से बढ़कर 2020-21 में 11.86 हो गई और 2021-22 में घटकर 10.99 प्रतिशत रह गई। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से नौ प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ हो गया।

2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,16,927 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। तथापि, राजस्व व्यय 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 72,459 करोड़) की तुलना में ₹ 25,966 करोड़ अधिक था। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण चार्ट 2.10 में प्रस्तुत किया गया है।



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	34,734.17	37,947.91	3,213.74
2049-ब्याज भुगतान	17,114.67	18,361.60	1,246.93
2055-पुलिस	4,618.91	5,065.07	446.16
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,712.70	10,616.71	904.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	383.87	2.27	(-) 381.60
सामाजिक सेवाएं	36,163.96	40,927.67	4,763.71
2202-सामान्य शिक्षा	13,323.12	14,483.90	1,160.78
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4,857.12	5,763.24	906.12
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,230.01	1,856.25	(-) 373.76
2217-शहरी विकास	3,616.71	4,679.28	1,062.57
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8,752.03	9,750.56	998.53
आर्थिक सेवाएं	19,048.47	19,549.45	500.98
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,986.62	1,586.22	(-) 2400.40
2700-प्रमुख सिंचाई	1,243.78	1,506.56	262.78
2801-विद्युत	5,565.33	6,749.31	1,183.98
3055-सड़क परिवहन	1622.08	2062.34	440.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है, मुख्य रूप से पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, पुलिस सेवा, ब्याज भुगतानों पर व्यय में वृद्धि तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,213.74 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 1,246.93 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय में वृद्धि तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,763.71 करोड़ की वृद्धि हुई। बिजली, प्रमुख सिंचाई और सड़क परिवहन पर व्यय में वृद्धि और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 500.98 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन है। 2017-22 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 2.19** एवं **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरियां	18,632	19,763	22,365	22,595	24,236 ¹⁰
पेंशन पर व्यय	8,783	8,140	8,833	9,713	10,617
ब्याज भुगतान	11,961	13,551	15,588	17,115	18,362
कुल	39,376	41,454	46,786	49,423	53,215
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	29.72	30.00	32.96	33.44	31.04
पेंशन पर व्यय	14.01	12.35	13.02	14.38	13.60
ब्याज भुगतान	19.08	20.57	22.97	25.33	23.51
कुल	62.81	62.92	68.95	73.15	68.15
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	25.43	25.62	26.36	25.12	24.62
पेंशन पर व्यय	11.99	10.55	10.41	10.80	10.79
ब्याज भुगतान	16.33	17.56	18.37	19.03	18.66
कुल	53.75	53.73	55.14	54.95	54.07

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

¹⁰ इसमें ₹ 795 करोड़ की मजदूरी शामिल है।



वेतन (मजदूरी को छोड़कर), ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 52,420 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 55,455 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 3,035 करोड़ (5.47 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 67.13 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2017-18 से 2021-22 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 53.75 प्रतिशत से बढ़कर 54.07 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्षों से कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और उसके अनुकूल सरकार के अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 18.67 करोड़ की राशि उपर्युक्त प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक रखी गई थी जैसाकि **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	कुल	कम अंशदान	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	ने.सि.डि.लि. को कम अंतरण
1	2	3	4 = (2+3)	5= (2-3)	6	7= (4-6)
31 मार्च 2017 को राज्य सरकार के पास पड़े पेंशन निधियों के शेष						49.92
2017-18	479.94	460.44	940.38	19.50	975.76	(-) 35.38
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
2020-21	778.53	766.83	1,545.36	11.70	1,535.18	10.18
2021-22	875.35	939.66	1,815.01	(-)64.31	1,839.41	(-) 24.40
कुल	3,417.61	3,395.43	6,813.04	22.18	6,844.29	18.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 3,417.61 करोड़ के कर्मचारियों के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 3,395.43 करोड़ अर्थात् ₹ 22.18 करोड़ का कम अंशदान दिया। 2017-22 के दौरान ₹ 6,813.04 करोड़ की कुल राशि में से राज्य सरकार ने नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को ₹ 6,844.29 करोड़ अर्थात् ₹ 31.25 करोड़ अधिक हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के पास ₹ 18.67 करोड़ की शेष राशि पड़ी थी। नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सरकार के हिस्से के साथ अंशदान का कम हस्तांतरण होने के कारण राज्य सरकार की देयता बढ़ गई।

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूरी तरह से समय पर नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाए।

2.4.2.4 सब्सिडीज

सब्सिडीज पर व्यय 2017-18 में ₹ 8,446 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ रह गया और 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.21 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.69 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 2.21 में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,108 करोड़ (74.55 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 2,249 करोड़ (23.59 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 106 करोड़ (1.11 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 72 करोड़ (0.75 प्रतिशत) पर सब्सिडीज वितरित की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल सब्सिडीज (₹ 6,260 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 6,060 करोड़) के प्रक्षेपण से अधिक थी।

तालिका 2.21: 2017-22 के दौरान सब्सिडीज पर व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडीज (₹ करोड़ में)	8,446	8,549	8,105	7,650	9,535
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	13.47	12.98	11.94	11.32	12.21
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	11.53	11.08	9.55	8.51	9.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)


संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय	2,466.82	2,092.31	2,279.46	2,766.64	3,472.10
पंचायती राज संस्थाएं	2,283.43	2,547.17	3,098.12	3,235.92	954.97
कुल (क)	4,750.25	4,639.48	5,377.58	6,002.56	4,427.07
(ख) अन्य					
विश्वविद्यालय	2,102.96	2,093.14	2,496.64	2,468.29	2,632.82
विकास प्राधिकरण	868.04	865.54	812.88	1,104.22	1,072.47
सांविधिक निगम	1,101.14	1,350.08	1,745.08	2,107.65	1,686.01
अन्य (स्वायत्त निकाय)	1,021.92	1,129.59	905.17	1,329.75	2,627.44
कुल (ख)	5,094.06	5,438.35	5,959.77	7,009.91	8,018.74
कुल (क+ख)	9,844.31	10,077.83	11,337.35	13,012.47	12,445.81
राजस्व व्यय	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	13.44	13.06	13.36	14.47	12.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.22 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2017-18 में ₹ 9,844.31 करोड़ से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का 12.64 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 12,445.81 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 566.66 करोड़ (4.35 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी करने में कमी के कारण हुई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी मूलभूत संरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 11,046 करोड़ था जिसमें सामाजिक सेवाओं पर ₹ 5,471.24 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर ₹ 5,012.25 करोड़ और सामान्य सेवाओं पर ₹ 562.07 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2021-22 में ₹ 5,175.86 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और खाद्य, भंडार एवं भण्डारण पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 2021-22 के दौरान ऊर्जा पर पूंजीगत व्यय में ₹ 527.03 करोड़ की बड़ी कमी आई थी जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत व्यय	5,869.70	11,045.56	5,175.86
सामान्य सेवाएं	387.61	562.07	174.46
सामाजिक सेवाएं	2,986.12	5,471.24	2,485.12
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,594.50	3,811.77	2,217.27
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	766.37	895.70	129.33
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	409.32	578.60	169.28
आर्थिक सेवाएं	2,495.97	5,012.25	2,516.28
खाद्य, भंडार एवं भंडारण*	(-) 1,243.04	-148.59	1,094.45
ऊर्जा	527.09	0.06	(-) 527.03
सड़कें एवं पुल	1,372.03	2,618.85	1,246.82

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

* इस प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत माइनस आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों और दालों की खरीद की गतिविधियों की खरीद गतिविधियों के कारण प्राप्त अधिक वसूली के कारण है।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2022 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,865.68 करोड़ निवेशित थे (तालिका 2.24)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.71 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2017-22 के दौरान अपने उधारों पर 7.75 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	17,374.35	30,747.91	36,922.92	37,566.55	37,865.68
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)*	7.53	56.60	87.01	163.14	1,007.59
प्रतिलाभ (प्रतिशत)*	0.04	0.18	0.24	0.43	2.66
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.10	8.81	8.31	6.50	7.05
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.06	8.63	8.07	6.07	4.39
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंत (₹ करोड़ में)	1,400.37	2,653.54	2,979.68	2,280.29	1,662.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

* ऐतिहासिक लागत पर

(वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100

₹ 37,865.68 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,027.95 करोड़ (95.15 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। वित्त खातों के अनुसार, सरकार ने 2021-22 में ₹ 37,865.68 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया था। लेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 37,865.68 करोड़ की इक्विटी में निवेश में से 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 28,508.29 करोड़ था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,876.34 करोड़ था। **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित अनुसार ₹ 8,368.05 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2021 तक, ₹ 8,363.24 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली कुल 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। **तालिका 2.25** 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.25: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	21,036	16,090	11,474	7,390	7,884
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	1,395	756	1,309	926	966
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	6,341	5,372	5,393	432	500
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	16,090	11,474	7,390	7,884	8,350
निवल जोड़	(-) 4,946	(-) 4,616	(-) 4,084	494	466
प्राप्त ब्याज	1,163	720	398	92	106
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	6.27	5.22	4.22	1.20	1.31
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.71	7.78	7.80	7.46	7.08
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	1.44	2.56	3.58	6.26	5.77

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड और बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 5.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में ₹ 3,877.95 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। ₹ 4,509.53 करोड़ की बकाया राशि के साथ मूलधन की कोई वसूली नहीं हुई थी। सरकार ने इन चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किए कि ऋणों को संस्वीकृतियों के 12 माह के बाद समान किशतों में पांच वर्ष में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा और पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती में विफलता के मामले में कोई ऋण संवितरित नहीं किया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों को सुनिश्चित किए बिना ₹ 3,877.95 करोड़ की पुरानी राशि सहित 2021-22 के दौरान ₹ 631.58 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/संवितरित किए गए थे। इस प्रकार, सहकारी चीनी मिलों को संस्वीकृत ऋणों की शर्तों का उल्लंघन निरंतर जारी है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के आरंभ में ₹ 993.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, इस बैंक को ₹ 75 करोड़ का ऋण दिया गया था। वर्ष के दौरान कोई वसूली प्राप्त नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 के अंत तक बकाया राशि ₹ 1,068.87 करोड़ हो गई। सरकार ने इस बैंक को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा सरकार को उधार की भारित औसत लागत के आधार पर परिकल्पित ब्याज दर के साथ सरकार को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक को संस्वीकृत ऋण की शर्तों के उल्लंघन में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान बजट में मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जो इन सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के विरुद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का संकेत था।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 785¹¹ करोड़ के पांच नए ऋण दिए गए थे। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 106 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.31 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त हुआ।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है।

¹¹ बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण - प्रसारण और वितरण: ₹ 10.30 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक को ऋण: ₹ 75 करोड़ और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड को ऋण: ₹ 34.79 करोड़, भंडारण निगम को ऋण: ₹ 33.63 करोड़ और सहकारी शुगर मिल्स: ₹ 631.58 करोड़।

आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2022 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 2.26** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2022 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2022 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन	1	10.69	10.85
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	18	345.18	179.20
कुल	19	355.88	190.05

स्रोत: वित्त लेखे

विभागों की 19 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि जुलाई 2020 और मार्च 2022 के मध्य थीं, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप ₹ 190.05 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई। 19 अधूरे कार्यों में से 5 कार्य 12 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके तथा 31 मार्च 2022 तक अधूरे कार्यों पर कुल व्यय का 34.49 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए ₹ 65.34 करोड़ का व्यय किया गया। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित कर दिया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.27** में किया गया है।

तालिका 2.27: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता


राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2017-18	13.80	15.35	13.82	3.83
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2017-18	16.13	15.56	15.17	5.09
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2021-22	12.33	10.00	14.46	6.25
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (अनुपात) 2021-22	15.84	14.41	14.66	6.20
कु.व्य: कुल व्यय; पूं.व्य: पूंजीगत व्यय सा.श्रे.रा.: सामान्य श्रेणी राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा				

हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2017-18 के साथ-साथ

2021-22 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम है। 2017-18 और 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी चार्ट 2.13 में दर्शाई गई है।



नोट: वी.एल.सी. डाटा से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दिखाई देता है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं हैं। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष


लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष तालिका 2.28 और चार्ट 2.14 में दिए गए हैं।

तालिका 2.28: 31 मार्च 2022 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आई. लघु बचतें, भविष्य निधि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	14,547.52	15,715.23	16,962.46	17,996.91	18,394.45
ख. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,593.33	3,086.92	4,962.35	5,476.92	5,756.67
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,933.75	3,228.68	3,532.00	2,347.00	3,092.25
	कुल	5,527.08	6,315.60	8,494.35	7,823.92	8,848.92
जे. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	379.13	403.41	421.76	451.94	443.53
	(ख) गैर-ब्याज वाली जमा	6,687.90	8,001.14	7,500.04	9,019.62	11,281.42
	(ग) अग्रिम	(-) 0.72	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	7,066.31	8,403.81	7,921.06	9,470.82	11,724.21
के. उचंत तथा विविध ¹²	उचंत तथा विविध	(-) 10.80	(-) 57.23	(-) 70.49	(-) 24.24	241.40
एल. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	180.34	343.72	306.84	330.58	333.65
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 23.57	(-) 16.24	(-) 33.10	(-) 17.73	(-) 19.05
	कुल	156.77	327.48	273.74	312.85	314.60
कुल योग		27,286.88	30,704.89	33,581.12	35,580.26	39,523.58

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 397 करोड़), जमा (₹ 2,253 करोड़), प्रेषण (₹ 2 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 1,025 करोड़) और उचंत एवं विविध (₹ 266 करोड़) में वृद्धि को के कारण निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2021-22 में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। विशिष्ट

¹² नकद शेष निवेश खाते के आंकड़ों को छोड़कर।

प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थीं। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2022 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष **तालिका 2.29** में दिए गए हैं।

तालिका 2.29: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2022 को शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियां	5,756.66
1	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	566.84
2	मूल्यहास आरक्षित निधि - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	16.45
3	सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	4.64
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	4,234.06
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	934.67
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,092.26
1	ऋणशोधन निधि	1,286.08
2	खदान कल्याण निधि	373.89
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,428.51
6	उपभोक्ता कल्याण निधि	0.08
	कुल योग	8,848.92

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण और लोक लेखा की बकाया देयताओं के मोचन के लिए 8 जून 2020 को 2002 की पूर्ववर्ती समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) योजना के साथ एक नई समेकित ऋणशोधन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को आंतरिक ऋण और लोक लेखा की पिछली बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अंशदान देना आवश्यक था।

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,186.04 करोड़ (31 मार्च 2021 तक आंतरिक ऋण और लोक लेखा ₹ 2,37,207.91 करोड़ की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) की तुलना में केवल ₹ 500 करोड़ का अंशदान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 686.04 करोड़ का कम अंशदान हुआ।

1 अप्रैल 2021 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 719.39 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि निवेशित रही और ₹ 66.69 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। 31 मार्च 2022 तक निधि का कुल संचयन ₹ 1,286.08 करोड़ था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में बदल दिया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2010 और 30 जुलाई 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) की सिफारिशों के अनुसार निधि शेषों का निवेश करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं:

- (क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के गठन और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों, समय-समय पर जारी, में प्रावधान है कि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) सहायक लेखों (आपदा के अनुसार) को इस तरह और विवरण में बनाए रखेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से आवश्यक समझा जाए। हालांकि, राज्य सरकार ने सहायक लेखों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं, और तदनुसार, विभाग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के आपदा-वार सहायक लेखे तैयार नहीं किए हैं। आपदा-वार सहायक लेखे के अभाव में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के व्यय की मदों एवं मानकों के अनुसार प्रत्येक आपदा पर किए गए व्यय का विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका।
- (ख) विभाग द्वारा भारत सरकार (एमएचए) को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा से यह देखा गया कि ये उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत राशियों के विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय के बजाय स्वीकृत राशियों के आधार पर जारी किए गए थे। अभिलेखों की आगे समीक्षा से पता चला कि विभाग ने वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी की गई संस्वीकृत राशि के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय की सूचना दी। यदि केवल राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से या राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य बजट दोनों से राहत के वितरण के लिए संस्वीकृतियों के विरुद्ध फील्ड कार्यालयों को निधियां अंतरित नहीं की गई थी, तो असंवितरित राशि को फील्ड कार्यालयों से वापस प्राप्त किया गया था और जमा शीर्ष 8121 में जमा किया गया था। लाभार्थियों को वास्तव में वितरित की गई राशि की परवाह किए बिना, क्षेत्रीय कार्यालयों को संस्वीकृत निधियां जारी करने के आधार पर रिपोर्ट की गई व्यय की राशि, दिशानिर्देशों की आवश्यकता और उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। आगे, चूंकि विभाग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से वर्षवार वास्तविक व्यय (अर्थात्, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संस्वीकृत राशि घटा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि राशि वापस की गई या वित्तीय वर्ष के अंत में असंवितरित शेष) का रखरखाव नहीं किया है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निधियों के वास्तविक वार्षिक उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- (ग) जुलाई 2015 में भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश (पैरा संख्या 19 और 20 के अंतर्गत) प्रावधान करते हैं कि भारत सरकार और/या राज्य सरकार से अंशदान की राशि प्राप्त होने पर, राज्य

कार्यकारी समिति (क) केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों; (ख) नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों; और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज अर्जित जमा और जमा के प्रमाण-पत्रों के एक या अधिक में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधियों के निवेश के लिए कार्रवाई करेगी। दिशानिर्देशों में आगे प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त दस्तावेजों में निवेश तब तक किया जाएगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते। तथापि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश नहीं किया गया है।

- (घ) चौदहवें वित्त आयोग 2015-20 की सिफारिशों के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश (जुलाई 2015) प्रावधान करते हैं (पैरा संख्या 7 के अंतर्गत) कि भारत सरकार के हिस्से की प्राप्ति के तुरंत बाद, राज्य अपने हिस्से के साथ राशि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष को अंतरित करेंगे। दिशानिर्देशों में आगे प्रावधान किया गया है कि निधियां जारी करने में किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करनी अपेक्षित होगी।

तथापि, यह देखा गया था कि राज्य सरकार के मैचिंग अंशदान सहित उपर्युक्त दिशानिर्देश जारी करने के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किस्तों को अनुमेय 15 दिनों से 12 से 104 दिनों तक की देरी से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में जमा किया गया था। राशि जारी करने में विलंब के बावजूद राज्य सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज उपलब्ध नहीं कराया है। परिणामस्वरूप, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि ₹ 29.17 करोड़ तक कम बताई गई है।

- (ङ) चौदहवें वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्रमशः जुलाई 2015 और जनवरी 2022 में जारी "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन" पर दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को यह प्रमाण-पत्र जारी करना अपेक्षित है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्थापित करने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाएं लागू थीं। इस संबंध में यह देखा गया था कि विभाग ने गृह मंत्रालय को ऐसे प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए थे।

विभाग ने बताया (12 सितंबर 2022) कि जून और दिसंबर में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना इस बात का प्रमाण था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि लागू था। हालांकि, विभाग द्वारा जुलाई 2015 और जनवरी 2022 के दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रदान नहीं किए गए थे।

- (च) "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन" पर दिशानिर्देशों, जैसा कि समय-समय पर जारी किए जाते हैं, में प्रावधान है कि राज्य सरकारें पिछले वर्ष में किन्हीं निर्दिष्ट प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में प्राकृतिक आपदाओं पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सितंबर तक गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करें। यह वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों

के साथ-साथ, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के व्यय की मर्दों और मानदंडों के अनुसार अनुमत प्रत्येक प्रकार के व्यय के लिए प्रत्येक आपदा पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी। तथापि, विभाग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आपदा-वार कुल संस्वीकृत व्यय (अर्थात् राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य बजट दोनों से संस्वीकृत व्यय) की सूचना दी गई थी; और दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा-वार वास्तविक व्यय की सूचना नहीं दी गई थी।

(छ) 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय: ₹ 426.23 करोड़

31 मार्च 2022 को निधि में उपलब्ध शेष: ₹ 4,234.06 करोड़

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 3,859.99 करोड़ का आरंभिक शेष था। 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 392.80 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 392.80 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 130.93 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 800.30 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जिसमें ₹ 43 करोड़ के अव्ययित शेष और ₹ 233.57 करोड़ के ब्याज शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 426.23 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2022 को निधि में ₹ 4,234.06 करोड़ का अंतिम शेष था।

31 मार्च 2022 तक व्यय ₹ 7.31 करोड़ कम बताया गया है, क्योंकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्वीकृत संख्या 2272-ईआर-1-2022/1504 दिनांक 16 मार्च 2022 के अनुसार व्यय को वहन करने वाली राशि को ₹ 30.41 करोड़ के बजाय ₹ 23.10 करोड़ के रूप में लिया गया है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक निधि में उपलब्ध शेष राशि को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। तालिका 2.30 में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 426.23 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.30: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

प्रमुख लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2021-22 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-खाद्य पदार्थ, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	586.23
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	60.00
	113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	0.03
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0
	282-जन स्वास्थ्य	2.73
	800-अन्य	0.07
	उप-कुल	649.06
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	5.9
	उप-कुल	5.9
	कुल योग	654.96
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा से मिली राशि	426.23
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय)		586.23

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए 2003 की पूर्ववर्ती गारंटी मोचन निधि (गा.मो.नि.) के स्थान पर 8 जून 2020 को नई गारंटी मोचन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के न्यूनतम एक प्रतिशत के प्रारंभिक अंशदान के साथ सरकार द्वारा निधि की स्थापना की गई है। निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को निधि में सरकार द्वारा एकत्रित गारंटी फीस और सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक या यथा आवश्यक अंशदान को हस्तांतरित करना अपेक्षित है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2021 को सरकार की बकाया गारंटियां ₹ 23,053.18 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देशों में वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान और उसके बाद गत वर्ष की बकाया गारंटियों के अगले पांच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत (पांच प्रतिशत तक बढ़ाने योग्य) के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत को इंगित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में किसी राशि का अंशदान नहीं किया, यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 119.15 करोड़ की गारंटी फीस एकत्र की गई थी।

31 मार्च 2022 को निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,428.51 करोड़ (जो ₹ 23,053.18 करोड़ की बकाया गारंटियों का 6.20 प्रतिशत है) थी जो निवेशित थी।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/हस्तांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2021 को निधि में ₹ 300.75 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 703.67 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 37.14 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 105.55 करोड़ की राशि (डेड रेंट का 10 प्रतिशत जमा ₹ 703.67 करोड़ के डेड रेंट का राज्य का अंश पांच प्रतिशत) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 89.41 करोड़ (राज्य का अंशदान:

₹ 31.33 करोड़ और रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 58.08 करोड़) की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 16.14 करोड़ का कम अंशदान था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 5.85 करोड़ की अनुमति दी है, जिससे ब्याज के कारण ₹ 12.20 करोड़ की सीमा (₹ 300.75 करोड़ का छः प्रतिशत) तक निधि में कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 22.12 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2022 को निधि में ₹ 373.89 करोड़ का शेष रह गया।


2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत संरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,069.76 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 135.09 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबकि 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹ 934.67 करोड़ की राशि शेष थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, अपेक्षित धनराशि जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। हरियाणा में 2017-22 के दौरान बकाया ऋण का विवरण **चार्ट 2.15** में दिया गया है।



* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

2.6.1 ऋण प्रोफाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2021-22 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को चार्ट 2.16 में प्रस्तुत किया गया है। 2017-18 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों को तालिका 2.31 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.31: घटक वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


राजकोषीय देयता के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
समग्र बकाया ऋण	1,64,076	1,84,216	2,15,562	2,38,708	2,63,950
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	1,37,813	1,54,968	1,83,786	2,03,958	2,26,208
भारत सरकार से ऋण	1,941	1,867	1,705	1,500*	1,489@
लोक लेखा देयताएं	24,322	27,381	30,071	33,250	36,253
बजट से बाहर के उधार	-	-	-	-	-#
बकाया समय ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.10	12.27	17.02	10.74	10.57
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.68	26.38	28.29	31.47	29.47
लोक ऋण प्राप्तियां	21,490	34,265	44,432	49,465	47,712
लोक ऋण पुनर्भूगतान	6,339	17,184	15,776	29,498	25,473
उपलब्ध लोक ऋण	15,151	17,081	28,656	19,967	22,239
लोक-ऋण पुनर्भूगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	29.50	50.15	35.51	59.63	53.39
निवल लोक लेखा प्राप्तियां	2,554	3,059	2,690	3,179	3,003
उपलब्ध कुल ऋण	17,705	20,140	31,346	23,146	25,242

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

@ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

वित्त लेखा 2021-22 के अनुसार, सूचना शून्य है। हालांकि, लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप "बजट से बाहर के उधार" पर अनुच्छेद को राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2021-22 के अध्याय-4 में शामिल किया गया है।

चार्ट 2.16: 31 मार्च 2022 के अंत में समय बकाया ऋण का विघटन




* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

राज्य की समय राजकोषीय देयताएं 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ से 60.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,63,950 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 87,943 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,931 करोड़) में बढ़ोतरी थी। गत वर्ष के 10.74 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में समय राजकोषीय देयताओं में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 में 25.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 29.47¹³ प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.96 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.88 गुणा थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,63,950 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2021-22 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में प्रक्षेपित ₹ 1,99,823 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम कुटैल (करनाल) में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परियोजना हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार को ₹ 91 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय देयताएं 29.47 प्रतिशत थी जो 15वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण 31.20 प्रतिशत की सीमा में थी।

¹³ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2017-18 में ₹ 1,37,813 करोड़ से ₹ 88,395 करोड़ (64.14 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,26,208 करोड़ हो गया। **चार्ट 2.17** में लिए गए ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋणों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। जिसमें 2021-22 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 16,530.97 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 4.40 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2021-22 में ₹ 47,568 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 30,498 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 25,318 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 6,357 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को बकाया बाजार उधारी ₹ 1,85,357.55 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 14.97 प्रतिशत (₹ 24,141 करोड़) थी।


राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव **चार्ट 2.18** और **तालिका 2.32** में दर्शाया गया है। 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 2.33** में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 19,114	(-) 21,912	(-)30,519	(-)29,486	(-) 31,778
1 राजस्व घाटा	(-) 10,562	(-)11,270	(-)16,990	(-)22,385	(-) 20,333
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 13,498	(-)15,258	(-)17,612	(-)5,807	(-) 10,978
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	4,946	4,616	4083	(-) 494	(-) 466
4 आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	-	(-) 800	-
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार उधार	15,839.49	17970.00	20,676.85	25,550.00	24,141.11
2 भारत सरकार से ऋण	(-)44.59	(-)74.33	(-)161.49	4,146.52	7,382.62
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(-)954.14	(-) 980.58	(-)1,004.39	(-)1,004.39	(-) 999.86
4 बॉण्ड	-	-	-	-	(-) 3,460.00
5 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	310.15	165.99	9,145.34	(-)4,373.00	2,568.77
6 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,226.32	1,167.71	1,247.23	1,034.45	397.53
7 आरक्षित निधि	673.72	553.47	1,925.34	(-)670.44	1,025.00
8 जमा एवं अग्रिम	653.55	1,337.50	(-)482.75	1,549.76	2,253.39
9 उचत एवं विविध	518.78	1,296.28	(-)1,623.60	1,562.54	265.64
10 प्रेषण	(-)25.09	170.72	(-)53.74	39.11	1.75
11 आकस्मिक निधि का विनियोजन		-	-	800.00	0.00
12 समग्र घाटा	18,198.19	21,606.76	29,668.79	28,634.55	33,575.95
13 रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	916.30	304.99	849.83	851.53	(-) 1,798.17
14 सकल राजकोषीय घाटा	19,114.49	21,911.75	30,518.62	29,486.08	31,777.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	30,497.76	6,356.65	24,141.11
2 भारत सरकार से ऋण	7,537.39 [@]	154.77	7,382.62
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	999.86	(-) 999.86
4 बॉण्ड	0	3,460.00	(-) 3,460.00
5 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	14,294.62	11,725.85	2,568.77
6 आकस्मिक प्राप्तियां	900.00	900.00	0.00
7 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,569.29	3,171.76	397.53
8 जमा एवं अग्रिम	38,077.43	35,824.04	2,253.39
9 आरक्षित निधियां	1,668.69	643.69	1,025.00
10 उंचत और विविध	1,363.26	1,097.62	265.64
11 प्रेषण	10,992.28	10,990.53	1.75
12 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,08,900.72	75,324.77	33,575.95
13 रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+)	3,147.94	4,946.11	(-) 1,798.17
14 सकल राजकोषीय घाटा	1,12,048.66	80,270.88	31,777.78

[@] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण की परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल मूल राशि के ऋण पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता दर्शाती है।


तालिका 2.34: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल (मूल राशि)

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के संबंध में)
0 - 1	24,466.70	11
1 - 3	41,166.38	18
3 - 5	41,170.07	18
5 - 7	34,333.61	15
7 एवं अधिक	86,731.57	38
कुल ¹⁴	2,27,868.33 ¹⁴	100

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

मार्च 2022 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 2,27,868.33 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 62 प्रतिशत (₹ 1,41,136.76 करोड़) सात वर्ष तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और शेष ₹ 86,731.57 करोड़ (38 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि तालिका 2.34 और चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

¹⁴ लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 171.31 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।




अगले 10 वर्षों में ब्याज¹⁵ सहित बकाया लोक ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची तालिका 2.35 और चार्ट 2.20 में दी गई है।

तालिका 2.35: बकाया लोक ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	का पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण	ब्याज	कुल
2022-23	24,466.70	17,543.41	42,010.11
2023-24	21,276.22	15,909.19	37,185.41
2024-25	19,890.16	14,297.10	34,187.26
2025-26	21,168.57	12,838.67	34,007.24
2026-27	20,001.50	10,844.65	30,846.15
2027-28	17,826.30	9,449.55	27,275.85
2028-29	16,507.31	8,140.76	24,648.07
2029-30	13,997.63	6,861.21	20,858.84
2030-31	12,405.88	5,606.04	18,011.92
2031-32	12,312.75	4,509.63	16,822.38
कुल	1,79,853.02 [§]	1,06,000.21	2,85,853.23

[§] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।



नोट: वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर लोक ऋण के लिए अगले 10 वर्षों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।


¹⁵ बाजार ऋण के ब्याज की गणना वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। शेष लोक ऋण पर ब्याज की गणना पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर के आधार पर की जाती है।

2022-23 से 2031-32 की अवधि के लिए ब्याज सहित ₹ 2,85,853.23 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से ब्याज सहित ₹ 42,010.11 करोड़ (15 प्रतिशत) 2022-23 में देय है, ब्याज सहित ₹ 1,36,226.06 करोड़ (48 प्रतिशत) 2023-24 से 2026-27 की अवधि के दौरान देय है, जबकि शेष 37 प्रतिशत (₹ 1,07,617.06 करोड़) पांच वर्ष से अधिक के बाद भुगतान किया जाना है। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 35,647.24 करोड़ होगा। 2027-28 से 2031-32 की अवधि में, ₹ 1,07,617.06 करोड़ (मूलधन: ₹ 73,049.87 करोड़ और ब्याज: ₹ 34,567.19 करोड़) का लोक ऋण पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 21,523.41 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण व्यय राज्य की उधारी आवश्यकता में वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है।

बाजार उधार/ऋण

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 2.21 में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2024-25 तक ₹ 37,876 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 40,470 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2026-27 तक, ₹ 30,900 करोड़ का मूलधन और ₹ 21,944 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2026-27 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 26,238 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2027-28 से 2031-32 की अवधि में ₹ 69,660 करोड़ के ऋण और ₹ 33,532 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 20,638 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। **तालिका 2.36** में 2017-18 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण*	1,39,754	1,56,835	1,85,491	2,05,458	2,27,697
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	12.16	12.22	18.27	10.76	10.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,38,832	6,98,189	7,62,044	7,58,507	8,95,672
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.79	9.29	9.15	(-) 0.46	18.08
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	21.88	22.46	24.34	27.09	25.42
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	2,561.93	5,054.18	5,840.63	12,132.69	16,057.12
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.08	8.16	8.17	7.94	7.72
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	17.04	18.37	20.60	22.97	21.41
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	29.50	50.15	35.50	59.63	53.39
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण [#]	4,469.12	4,981.11	14,677.34	4,449.26	5,521.18
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	20.80	14.54	33.03	8.99	11.57
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार [§] + प्राथमिक घाटा)	823.85	(-) 6,586.43	(-) 13,119.97	(-) 29,638.01	(-) 10,181.49


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- * बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 के दौरान, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,746 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़) को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।
- # राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।
- § प्रमात्रा प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - ब्याज दर)।

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

हरियाणा में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2017-18 में 21.88 प्रतिशत से बढ़कर

2020-21 में 27.09 प्रतिशत हो गया और 2021-22 में प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के धनात्मक आंकड़े के कारण घटकर 25.42 प्रतिशत हो गया। 2017-18 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां **चार्ट 2.22** में दर्शाई गई हैं।



2017-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 62.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2017-18 में ₹ 1,39,754 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,27,697 करोड़ हो गए। 2017-18 से 2021-22 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 10.76 प्रतिशत और 18.27 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 तक 9.15 और 13.79 प्रतिशत के मध्य रही और 2020-21 के दौरान घटकर (-) 0.46 प्रतिशत रह गई और 2021-22 में बढ़कर 18.08 प्रतिशत हो गई।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2017-22 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण **तालिका 2.37** में दिया गया है।

तालिका 2.37: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल उधार	21,489.76	34,264.97	44,431.82	49,464.73 ¹⁶	47,711.81 ¹⁷
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	6,338.85 (29)	17,183.87 (50)	15,775.51 (36)	29,497.60 (60)	25,472.95 (53)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	8,308.03 (39)	10,067.59 (29)	12,421.92 (28)	5,806.74 (11)	10,978.41 (23)
निवल ऋण एवं अग्रिम*	243.96 (1)	573.74 (2)	1,106.62 (2)	493.75 (1)	466.02 (1)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	6,598.92 (31)	6,439.77 (19)	15,127.77 (34)	13,666.64 (28)	10,794.43 (23)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

* निवल पूंजीगत व्यय और निवल ऋणों एवं अग्रिमों की गणना वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अतः राजस्व व्यय के लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2021-22 के दौरान, ₹ 10,794 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत) का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 23 प्रतिशत है।

इस प्रकार, 2017-18 से 2021-22 के दौरान 60 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत के मध्य उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय के लिए किया गया था। 2021-22 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 76 प्रतिशत पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान (53 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय (23 प्रतिशत) के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, उधार ली गई निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया।

2017-22 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को चार्ट 2.23 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


¹⁶ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

¹⁷ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और बकाया गारंटियों की कुल प्राप्तियों की स्थिति चार्ट 2.24 और 2.25 में दी गई है।



स्रोत: वित्त लेखे

2021-22 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण तालिका 2.38 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.38: संस्थाओं को दी गई गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	ब्याज सहित बकाया गारंटी
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	11	14,334.04
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम	6	2,843.83
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	20	4,400.65
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	6	295.41
5	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक	1	153.94
6	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	342.05
7	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	6	261.43
8	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	10	1,168.41
9	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1	94.20
10	नगर निगम, फरीदाबाद	1	55.00
11	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	4	20.32
12	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	27.13
13	पानीपत सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, पानीपत	1	92.86
14	शाहबाद सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, शाहबाद	1	55.35
15	करनाल सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, करनाल	1	78.93
16	हैफेड-नाबाड	2	104.84
17	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2	14.17
	कुल	76	24,342.56

स्रोत: वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे

31 मार्च 2022 तक ब्याज सहित कुल बकाया गारंटी में से 94.65 प्रतिशत (₹ 23,042.34 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 14,334.04 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम (₹ 2,843.83 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4,400.65 करोड़), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 295.41 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,168.41 करोड़) के संबंध में बकाया थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 2.39 में दिए गए हैं।

तालिका 2.39: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 463.47	(-) 371.24
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 462.93	(-) 370.70
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	1,564.72	2,597.52
कुल (क)	1,101.79	2,226.82
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	3.34	4.41
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिह्नित निधियों में निवेश	2,042.69	2,714.76
कुल (ख)	2,046.15	2,719.29
कुल (क + ख)	3,147.94	4,946.11
वसूल किया गया ब्याज	29.49	25.45

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.40: रोकड़ शेष निवेश लेखा (प्रमुख शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-) 768.15	29.49
2021-22	1,564.72	2,597.52	1,032.80	25.45

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 2,719.29 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 1,283.95 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,428.51 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2021-22 में सरकार 346 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी।

सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 4 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और 14 दिन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। 2021-22 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.29 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2021-22 के दौरान राज्य के पास ₹ 3,148 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 30,498 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 4,946 करोड़ था (चार्ट 2.26)।



2.8 राज्य वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-वाई के साथ पठित अनुच्छेद 243-1 में राज्य सरकार के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांच साल की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग का जनादेश स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और निधियों के हस्तांतरण के लिए राज्यपाल को सिफारिशें करना है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (एचएम) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1999 (एचएमसी) में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया।

पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, छठे राज्य वित्त आयोग को सितंबर 2019 तक स्थापित किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2021-22 से छठे राज्य वित्त आयोग प्रस्तावों को अपनाने की सुविधा के लिए दिसंबर 2020 तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने एक वर्ष की देरी के बाद सितंबर 2020 में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग ने दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में आयोग की वित्तीय सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

2.8.1 हस्तांतरण

छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 9 ने विभाज्य पूल को राज्य के निवल स्व कर राजस्व (एसओटीआर) के पहले के सात प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने की सिफारिश की। इस नौ प्रतिशत में से यह सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को

50 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 50 प्रतिशत के रूप में सात प्रतिशत हस्तांतरित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने 55:45 (पीआरआई: यूएलबी) के अनुपात में स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण स्वीकार कर लिया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों को बजटीय हस्तांतरण पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है क्योंकि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन सितंबर 2020 में किया गया था।

आगे यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,715 करोड़ (₹ 1,375 करोड़ सामान्य घटक और ₹ 340 करोड़ अनुसूचित जाति घटक) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं को कोई राशि वितरित नहीं की गई है। विभाग से राशि का भुगतान न करने के कारण मांगे गए हैं। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ₹ 1,500.00 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,228.01 करोड़ की राशि वितरित की गई है जो ₹ 1,681 करोड़ (राज्य के स्व कर राजस्व का 3.15 प्रतिशत) की अनुशंसित राशि के विरुद्ध कुल प्रावधान का 81.87 प्रतिशत और राज्य के स्व कर राजस्व का 2.30 प्रतिशत है। बजटीय प्रावधान के विरुद्ध राशि का असंवितरण/कम संवितरण अवास्तविक बजट का संकेत है जो राज्य द्वारा वास्तविक संसाधन जुटाने के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से स्थानीय निकायों की गैर-प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है।

2.9 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया था। हालांकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संसोधन नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2020-21 में 33.13 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 26.03 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समय अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। राज्य में पिछले वर्ष के दौरान 0.46 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 2021-22 की अवधि के दौरान 18.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व घाटा, जिसे 2011-12 तक शून्य पर लाया जाना था, 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 20,333 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य ने वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए निधियां उधार ली थी। 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 31,778 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था और सितंबर 2020 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मानक निर्धारण के भीतर था। राजकोषीय घाटे को मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 47,712¹⁸ करोड़ के कुल उधार में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 11,046 करोड़ (23 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया। शेष 77 प्रतिशत उधारों का उपयोग पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत रह गई, जो 2021-22 में बढ़कर 15.59 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वयं के राजस्व ने पिछले वर्ष की तुलना में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

राज्य ने केवल 46 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 54 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 8,368 करोड़ का अंतर था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 37,866 करोड़) पर केवल 2.66 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया।

सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष के प्रारंभ में ₹ 3,877.95 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 631.58 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

कुल मिलाकर लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.47 प्रतिशत थीं (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में ऋण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 47,712 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 25,473 करोड़ का ऋण चुकाया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 24 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 106 करोड़ (1.31 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि बकाया ऋण पर 7.08 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान 7.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि और खदान एवं खनिज पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,542.62 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

¹⁸ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2.10 सिफारिश

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो भारी नुकसान उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना और उनके पुनरुद्धार या उन्हें बंद करने, जैसा भी मामला हो, के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करना;
2. सहकारी चीनी मिलों, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य ऋणी संस्थाओं के विरुद्ध बकाया ऋणों की समय पर वसूली की प्रणाली विकसित करना; तथा
3. आरक्षित निधियों का निवेश करना ताकि इन निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इन निधियों का सृजन किया गया था।